

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बदल पदावत

उपलब्ध अधिकारी मुकाम

बनेहा

शिव कंवर

बनाम

श्री लाल कंवर वगैरे

किस्म मुकदमा

ग्राहक पत्र

दि.

25/2017

दि. 2017

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियरस जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुक

07.08.2018

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षीगण को जारी सम्मन/नोटीस विधिवत तामील होकर रिकार्ड पर उपलब्ध है, किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी नियत सुनवाई पर कोई वैद्य प्रतिनिधि हाजिर नहीं होने विपक्षीगणों के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते हैं। प्रार्थी ने यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सी.पी.सी. पुनः नम्बर पर लिए जाने सम्बन्धित मूल प्रार्थनापत्र पत्र बाबत प्रस्तुत किया है। राजस्व मूल प्रार्थनापत्र संख्या 37/2015 दिनांक 10.01.2017 को न्यायालय हाजा द्वारा प्रार्थी/वादी की अदम पैरवी अदम हाजरी में खारिज कर निर्णित किया गया था। जिसको पुनः नम्बर पर लिये जाने आशय अनुतोष से यह प्रार्थनापत्र प्रस्तुत हुआ है। जिस पर वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र पर बहस करना चाहने से बहस एकपक्षीय सुनी गई।


बहस के दौरान प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि न्यायालय श्रीमान के समक्ष सुनवाई दिनांक 10.01.2017 को मौजूदा प्रार्थनापत्र से सम्बन्धित मूल प्रार्थनापत्र संख्या 37/2015 पंजीबद्ध था। किन्तु नियत सुनवाई दिनांक 10.01.2017 को न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सके, क्यों कि नियत सुनवाई दिवस पर, चूंकि प्रार्थीया एक महिला है; उनके कई घरेलु आवश्यक कार्य होते हैं, उनकी प्रकरण में उपस्थिति की आवश्यकता नहीं थी, और मुझे अधिवक्ता को हाजिर होना था, किन्तु मेरे परिवार में आकस्मिक घरेलु कार्य आ जाने से मुझे मुझे अधिवक्ता को बाहर जाना पड़ गया और न्यायालय श्रीमान में उपस्थित नहीं हो सका। प्रस्तुत वादपत्र गैरमनकुला जायदाद से संबन्धित होकर प्रार्थीया के हक अधिकारों का निर्धारण होना है, तथा वाद अदम हाजरी में खारिज हो जाने से प्रार्थीया न्याय प्राप्त करने से महारूम रह जावेगी।

तथा प्रकरण अभी प्रारंभिक स्टेज पर ही विचारित था। न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो पाने का कारण वाजिब, माकूल एवं मजबूरी युक्त रहा है। इस कारण एवं आधार पर वादीया के प्रार्थनापत्र को पुनः नम्बर पर लिया जाना उचित एवं आवश्यक है अन्यथा वादीया/प्रार्थी को अपूर्ण्य क्षति होगी, जिसका आंकलन किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रार्थीया/वादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. को स्वीकार फरमाया जाकर वादपत्र संख्या 37/2015 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश कराना फरमावें।

हमने प्रार्थीया के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मूल राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 37/2015 का बारीकी से अध्ययन एवं परीक्षण किया गया। न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/वादी पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सकने के हेतुक के तौर पर प्रार्थीया अधिवक्ता के परिवारिक आकस्मिक घरेलु कार्य आ जाने से अधिवक्ता को अन्यत्र कहीं बाहर जाना पडा, यह अवगत कराया। न्यायालय, हेतुक के तौर पर अधिवक्ता द्वारा अवगत कराये गये कारण वाजिब, माकूल एवं मजबूरी युक्त मानता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा आदेश 09, नियम 09 सपठित धारा 151 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वादी के प्रार्थनापत्र संख्या 37/2015 को पुनः नम्बर पर लिये जाने के निर्देश के साथ, खारिज होने से पूर्व प्रार्थनापत्र में नियत चरण से ही पुनः आरम्भ किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करें।

पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।


उपखण्ड अधिकारी
बनेडा जिल भीलवाड